


# FORM NO. III

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपबन्ध अधिकारी  
बड़ीसावड़ी जि. किलीइग मुकाम \_\_\_\_\_  
खेमराज W/S बनाम तदकीलडाए खीकाची-  
 किस्म मुकद्दमा नं. \_\_\_\_\_ सन् \_\_\_\_\_  
प्रि.पत्र 136 LRA 4/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
११/१/२१	<p>प्रार्थी श्री खेमराज उर्फ कैलाश पुत्र                      वरधिन्यन्त माली नि. नि. नि. द्वारा                      प्रस्तुत प्रि.पत्र 136 के तहत जॉय                      रिपोर्ट तदकीलडाए की निश्चिन्ता के अनुष्ठा                      ना.क. 3199 दि. 5.8.2010 के विरालन                      नामान्तरण में प्रार्थी का नाम खेमराज ही                      दर्ज है राजस्व रिकॉर्ड में अ. प्रकल्प व                      खेतीगेशन के दौरान कोई अशुद्धि नहीं                      हुई है प्रार्थी अपना नाम खेमराज के                      बजाय कैलाश पिता वरधिन्यन्त कराना                      चाहता है</p> <p>कृत: प्रस्तुत प्रि.पत्र राजस्थान                      अ.राजस्व 1955 की धारा 136 LRA के                      तहत स्वीकृत योग्य नहीं होने से खाणिक                      किया जाता है बजावली फैलल शुमा                      होकर नम्बर से कम है</p>	

उपबन्ध अधिकारी  
 बड़ीसावड़ी जि. किलीइग